

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जून 10, 2013

संख्या प. 4 (12) विधि/2/2013.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 जून, 2013 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रवृत्त किया जाता है:-

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013

(2013 का अध्यादेश संख्यांक 9)

(राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक 7 जून, 2013 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः, राजस्थान राज्य विधान-सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अध्यादेश का नाम कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं.14 की धारा 8 का संशोधन.- कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 14). जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है. की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा. अर्थात्:-

"8. निरीक्षण.- (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे.-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा अंधारित किसी संस्था, संस्थान या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का, निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और, उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।”।

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं.14 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“11. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा -

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति ; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति.

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी ।

(3) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिपक्वियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी ।

(5) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा ।

(6) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति का प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी !

(7) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये ।

(8) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसमें वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/ थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(9) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी वीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो/रही हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(10) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(11) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी: और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 के विद्यमान उपबंध को उसकी उप-धारा (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा। ।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 44 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (2) और (3) क्रमशः उप-धारा (4) और (5) के रूप में पुनःसंख्यांकित की जायेंगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जायें, आगामी वर्ष के लिए वजट तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वजट बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कारवाइ करेगा।" और

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी. अर्थात्:-

“(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।”।

माग्रेट उपाय्या
राज्यपाल, राजस्थान। 7/6.

पुनःसंख्यांकित

पुनःसंख्यांकित,

पुनःसंख्यांकित (संख्यांकित)

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, June 10, 2013

No. F.4 (12) Vidhi/2/2013.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Kota Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2013 (2013 Ka Adhyadesh Sankhyank 9) promulgated by her on the 7th day of June, 2013 :-

(Authorized English Translation)

**THE UNIVERSITY OF KOTA (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2013**

(Ordinance No. 9 of 2013)

(Made and promulgated by the Governor on the 7th day
of June, 2013)

An

Ordinance

further to amend the University of Kota, Act, 2003.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the University of Kota (Amendment) Ordinance, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 14 of 2003.- For the existing section 8 of the University of Kota Act, 2003 (Act No. 14 of 2003), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“8. Visitation.- (!)The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he or she may direct—

- (a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or
- (b) of any institute, institution or hostel maintained by the University; or
- (c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or
- (d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he or she may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his or her intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his or her views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he or she may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his or her discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof."

3. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 14 of 2003.- For the existing section 11 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"11. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon the recommendation of a Selection Committee consisting of -

- (a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
- (b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
- (c) one person nominated by the Chancellor; and
- (d) one person nominated by the State Government.

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the

advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(8) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(9) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.”.

4. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 14 of 2003.- The existing provision of section 35 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (2) thereof and before sub-section (2) so renumbered the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.”.

5. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 14 of 2003.- In section 44 of the principal Act,-

(i) the existing sub-sections (2) and (3) shall be renumbered as sub-sections (4) and (5) respectively;


(ii) after the existing sub-section (1) the following new sub-sections shall be inserted, namely:-


“(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the budget for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the budget prepared by the Comptroller shall be placed before the Board for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.” ; and

(iii) after sub-section (5) so renumbered the following new sub-section shall be added, namely:-

“(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.”.


Governor of Rajasthan. 2/6.


J 4/12/58

Principal Secretary to the Government: